भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०–100/2019–20

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
31.08.2019	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, मनोहरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 20.09.2019 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 20.09.2019 को उपस्थापित करें। 31.8.19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
20.09.2019	**आदेश** अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, **मनोहरपुर** के पत्रांक–**213(B)**, दिनांक–**14.09.2019** द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिनांक–**16.09.2019** को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, **मनोहरपुर** ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक **दुखु सिंह**, पिता–**स्व0 रामदास रवानी (सिंह)**, जाति–**कहार (अ.पि.वर्ग)**, ग्राम+पो0+थाना–**मनोहरपुर**, जिला **प० सिंहभूम** ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। अंचल अधिकारी, **मनोहरपुर** के प्रतिवेदनानुसार आवेदित कृषि योग्य भूमि मौजा–**नन्दपुर**, थाना नं0–**85**, थाना–**मनोहरपुर**, खाता नं०–**330, 331**, प्लॉट नं0–**824, 950**, रकवा क्रमशः–**07$\frac{1}{4}$** डि0, **13** डि0, कुल रकवा–**20$\frac{1}{4}$** डि0 भूमि क्रेता **पूनम कुमारी**, पति–**श्री सिद्धीश कुमार महतो**, ग्राम–**गनमोर**, जाति–**कुर्मी (अ.पि.वर्ग)**, थाना–**मनोहरपुर**, जिला– **प० सिंहभूम** के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक **दुखु सिंह**, पिता–**स्व0 रामदास रवानी (सिंह)**, जाति–**कहार (अ.पि.वर्ग)**, ग्राम+पो0+थाना– **मनोहरपुर**, जिला **प० सिंहभूम** के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते है। आम इश्तेहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। बिक्रेता एवं क्रेता का थाना–**मनोहरपुर**, जिला–**प0 सिंहभूम** के निवासी हैं। बिक्रेता का जाति **कहार (अ.पि.वर्ग)** एवं क्रेता का जाति **कुर्मी (अ.पि.वर्ग)**, समुदाय के सदस्य हैं। बिक्रेता उक्त वर्णित भूमि **ईलाज एवं अन्य घरेलु कार्यो में बिक्री हेतु** बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् बिक्रेता को **मनोहरपुर** अंचल अंतर्गत **रकवा 2.90.750 ए0** अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, **मनोहरपुर** द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन बिक्रेता **दुखु सिंह**, पिता–**स्व0 रामदास रवानी (सिंह)**, जाति–**कहार (अ.पि.वर्ग)**, ग्राम+पो0+थाना–**मनोहरपुर**, जिला **प० सिंहभूम** उक्त भूमि **2,00,000/– (दो लाख)** रूपये में उक्त क्रेता को बेचना चाहते हैं। राजस्व एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित दर अथवा क्रेता एवं बिक्रेता द्वारा तय मूल्य में जो अधिक है दर पर, निबंधन शुल्क अदा कर बेचने की **स्वीकृति** दी जाती है। आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें। 20.9.19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	